[2025] 8 एस.सी.आर. 1084 : 2025 आईएनएससी 1010

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

बनाम

रामाधर साव

(2025 की दीवानी अपील सं. 10680)

20 अगस्त, 2025

[राजेश बिंदल तथा मनमोहन, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उत्तरदाता को सेवाओं से हटाया गया। दंडादेश को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा अपास्त किया गया तथा उत्तरदाता को बकाया वेतन सहित पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया गया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध बैंक द्वारा दायर अंतः न्यायालय अपील खारिज की गई।

निर्णय सार लेखन

सेवा विधि – सेवा से निष्कासन – उत्तरदाता ने बैंक में एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्ति ग्रहण की – उत्तरदाता के विरुद्ध ऋण स्वीकृति में समन्वय हेतु रिश्वत लेने की शिकायतें प्राप्त हुईं – अन्वेषण अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता शाखा में ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु अवैध अभिलाभ लेकर मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था तथा उसकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी सिद्ध हुई – प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तरदाता पर 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंडादेश आरोपित किया गया – तथापि, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.12.2012 के आदेश द्वारा दंड को 'बर्खास्तगी' से घटाकर 'सेवा से निष्कासन' कर दिया, साथ ही अधिवर्षिता लाभ प्रदान किए – उत्तरदाता द्वारा उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका स्वीकृत की गई तथा उसे बकाया वेतन सहित पुनः स्थापित किया गया – बैंक द्वारा दायर अंतः न्यायालय अपील खारिज की गई – शुद्धता:

अभिनिर्धारित: नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ – अन्वेषण के दौरान विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया – अन्वेषण अधिकारी ने पाँच ऋणग्राहियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपने ऋण की स्वीकृति हेतु समन्वय के लिए, यद्यपि उनके दस्तावेज़ अपूर्ण थे, उत्तरदाता को धनराशि का भुगतान किया – एकल पीठ द्वारा व्यक्त यह मत कि अन्वेषण अधिकारी एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अनुमान एवं अनुमानों पर आधारित थे, विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं है – इसका कारण यह है कि यदि समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो अभिलिखित निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है – ये संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित थे तथा संदेह से परे कठोर साक्ष्य की अपेक्षा आवश्यक नहीं थी – उत्तरदाता के विरुद्ध सिद्ध आरोप यह था कि वह ऋण स्वीकृत कराने में माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था – इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य, जब दंडादेश आरोपित किए जाने से पूर्व कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में उत्तरदाता उपस्थित हुआ, इस दिशा में संकेत करता है कि उसने प्रत्यक्षतः अपना दोष स्वीकार किया – अतः उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं हैं – उन्हें अपास्त किया जाना दायित्व है – अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2012 को पारित 'सेवा से निष्कासन' का दंडादेश, अधिवर्षिता लाभ सहित, पुनः स्थापित किया जाता है। [कंडिका 14, 14.1, 14.2, 14.3, 15]

न्याय दृष्टान्त

भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव, **2021 आई.एन.एस.सी.** *7* **: [2021] 1 एस.सी.आर. 51 : (2021) 2 एस.सी.सी. 612;** *बोलोराम बोरदोलोई बनाम लक्ष्मी गौलिया बैंक*

एवं अन्य, **2021 आई.एन.एस.सी. 66 : [2021] 1 एस.सी.आर. 858 : (2021) 3 एस.सी.सी. 806 – संदर्भित।**

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा विधि; सेवा से निष्कासन; ऋण स्वीकृति; अनाधिकृत अनुपस्थिति; विधिविरुद्ध अभिलाभ; नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत; संभावनाओं की प्रबलता; अनुमान एवं अनुमानों; बर्खास्तगी; अधिवर्षिता लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: 2025 की दीवानी अपील सं. 10680 पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2022 के निर्णय एवं आदेश से, 2018 की एल.पी.ए. सं. 1283 से उद्धृत

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के अधिवक्ता:

संजय कपूर, सूर्य प्रकाश, सुश्री शुभ्रा कपूर, सुश्री महिमा कपूर, सुश्री आकांक्षा भाटिया, सुश्री अन्नू मिश्रा।

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता:

देवाशीष भारुखा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सर्वश्री, सुश्री रीता झा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

राजेश बिंदल, न्यायाधीश

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता/ओं[1] द्वारा दायर की गई है, जो उच्च न्यायालय[2] की खंड पीठ के उस निर्णय से व्यथित हैं, जो उनके द्वारा दायर अपील[3] में पारित किया गया था। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश[4] के विरुद्ध बैंक द्वारा दायर अंतः न्यायालय अपील खारिज की गई।

2. उत्तरदाता ने दिनांक 07.12.2012 को उसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर वैधानिक अपील में पारित आदेश को चुनौती देते हुए विनिर्दिष्ट आदेश याचिका[5] दायर कर उच्च न्यायालय का आश्रय लिया था, जिसके द्वारा उसकी बर्खास्तगी का दंडादेश घटाकर अधिवर्षिता लाभ सहित सेवा से निष्कासन कर दिया गया था।

3. संक्षेप में अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता ने वर्ष 1997 में बैंक में एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्ति ग्रहण की। अप्रैल 2008 में, ऋण स्वीकृति में समन्वय हेतु रिश्वत लेने के संबंध में उत्तरदाता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं। दिनांक 15.11.2008 के सूचना द्वारा, बैंक ने उत्तरदाता को उसकी कर्तव्य से अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण देने तथा यह बताने के लिए कहा कि वह अपने निवास तथा बैंक शाखा में भी कुछ ऋण दस्तावेज निष्पादित कर रहा था।

4. उत्तरदाता के प्रत्युत्तर से संतुष्ट न होने पर, बैंक ने दिनांक 05.01.2010 को उत्तरदाता के विरुद्ध औपचारिक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें उस पर ऋण स्वीकृत कराने हेतु माध्यम के रूप में कार्य करने तथा विधिविरुद्ध अभिलाभ लेने का आरोप लगाया गया। उत्तरदाता ने दिनांक 12.02.2010 को आरोप पत्र के प्रति अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

---

1 संक्षेप में, 'बैंक'

2 पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

3 2018 की एलपीए सं. 1283

4 दिनांक 16.05.2018, सी.डबल्यू.जे.सी. सं. 3594/2013 में

5 2013 की सी.डबल्यू.जे.सी. सं. 3594

दिनांक 10.03.2010 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच करने हेतु अन्वेषण अधिकारी नियुक्त किया। दिनांक 04.10.2010 को अन्वेषण अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरदाता शाखा में ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु विधिविरुद्ध अभिलाभ लेकर मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था तथा दिनांक 20.04.2008 से 25.04.2008 तक उसकी अनाधिकृत अनुपस्थिति भी सिद्ध हुई। प्रतिवेदन की प्रति उत्तरदाता को उपलब्ध कराई गई तथा दंडादेश आरोपित किए जाने से पूर्व दिनांक 29.12.2010 को कारण बताओ सूचना जारी की गई। वह दिनांक 08.01.2011 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, अपनी निर्दोषता का दावा किया तथा किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की।

5. दिनांक 08.01.2011 के आदेश द्वारा, अन्वेषण अधिकारी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए, उत्तरदाता पर 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंडादेश आरोपित किया गया। उक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, उत्तरदाता ने वैधानिक अपील दायर की। सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 07.12.2012 के आदेश द्वारा दंड को 'बर्खास्तगी' से घटाकर अधिवर्षिता लाभ सहित 'सेवा से निष्कासन' कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से भी असंतुष्ट होकर, उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश याचिका[6] दायर की। उक्त याचिका एकल पीठ द्वारा स्वीकृत की गई। दंडादेश को अपास्त किया गया तथा उत्तरदाता को बकाया वेतन सहित पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया गया। एकल पीठ ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की कि उक्त याचिकाकर्ता सहित इस दुराचरण में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नवीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। एकल

---

6 2013 की सी.डबल्यू.जे.सी. सं. 3594

पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर, बैंक ने अंतः न्यायालय अपील[7] दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज[8] कर दिया गया। उक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

6. अपीलकर्ता/ओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस प्रकरण के तथ्यों का यथोचित संज्ञान लेने में असफल रही है। उत्तरदाता को जारी कारण बताओ सूचना का संदर्भ दिया गया, जो प्रारंभिक सूचना थी। उसी को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप पत्र के रूप में मानकर प्रकरण का परीक्षण किया गया। वस्तुतः, तत्पश्चात् आरोपों का विवरण देते हुए एक स्वतंत्र आरोप पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। यह ऐसा प्रकरण है जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने पहले ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए दंड को 'बर्खास्तगी' से घटाकर अधिवर्षिता लाभ सहित 'सेवा से निष्कासन' कर दिया था। एकल पीठ ने उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को स्वीकृत करते हुए इस बात पर अनुचित रूप से बल दिया कि आरोपों के अनुसार अन्य अधिकारी भी सम्मिलित थे तथा केवल उत्तरदाता को ही पृथक रूप से दंडित किया गया जबकि अन्य को दंडित नहीं किया गया। वास्तव में, उत्तरदाता के साथ संलिप्त दो अन्य अधिकारी, शाखा प्रबंधक तथा क्षेत्रीय अधिकारी को भी सेवा से निष्कासन का दंडादेश दिया गया था।

6.1 यह भी तर्क दिया गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में हस्तक्षेप का क्षेत्र अपील के समान नहीं होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में केवल प्रक्रिया संबंधी पहलुओं का परीक्षण किया जा सकता है। यह उत्तरदाता का प्रकरण नहीं है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ, क्योंकि

---

7 2018 की एल.पी.ए. सं. 1283

8 दिनांकित 14.12.2022

उसने अन्वेषण में भाग लिया तथा साक्षियों का प्रति-परीक्षण किया। बैंक के वे ग्राहक, जिनके मामलों में उत्तरदाता ने अन्य बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर ऋण स्वीकृति हेतु समन्वय किया था, उन्होंने भी उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया। उनके ऋण खाते अनियमित हो गए थे। उत्तरदाता दिनांक 30.06.2022 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुका है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अन्वेषण अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होता है, तो विस्तृत कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होता है; यह केवल तब आवश्यक होता है जब प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता। अपने तर्कों के समर्थन में, इस न्यायालय के **भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव**[9] तथा **बोलोराम बोरदोलोई बनाम लक्ष्मी गौलिया बैंक एवं अन्य**[10] के निर्णयों पर अवलंबित किया गया।

7. इसके विपरीत, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता को इस प्रकरण में बलि का बकरा बनाया गया है। वह केवल निम्नतम स्तर का वर्ग-चतुर्थ कर्मचारी था। उसका मुख्य कार्य पासबुक का मुद्रण करना था। उसे किसी भी ऋण को प्रस्तुत करने, संसाधित करने अथवा स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई अनियमितता थी, तो उसके लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था, न कि उत्तरदाता को। अभियोजन साक्षी-6 दिलीप कुमार मेहता, जो बैंक में क्षेत्रीय अधिकारी थे, के प्रति-परीक्षण में यह अभिलेख पर आया कि ऋण दस्तावेज क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भरे जाने होते हैं। अभियोजन साक्षी-7 अजय देम्ता के साक्ष्य में यह भी आया कि उत्तरदाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक रहा था तथा वह विश्वसनीय

---

9 (2021) 2 एस.सी.सी. 612 : 2021 आई.एन.एस.सी. 7

10 (2021) 3 एस.सी.सी. 806 : 2021 आई.एन.एस.सी. 66

कर्मचारियों में से एक था। दिनांक 20.09.2010 के पत्र से, जो कि कथित घटना के पश्चात् का है, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता को सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। यह दर्शाता है कि उसका कार्य एवं आचरण उत्तम था।

7.1 यह भी तर्क दिया गया कि एकल पीठ ने बैंक को नवीन अन्वेषण प्रारंभ करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। उक्त आदेश दिनांक 16.05.2018 को पारित किया गया था। सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और बैंक को वाद-विवाद को आगे बढ़ाने के स्थान पर नवीन अन्वेषण प्रारंभ करना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ तथा खंड पीठ द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अब भी, वाद-विवाद का समापन करने हेतु, उत्तरदाता की स्थिति को देखते हुए, जो कि एक वर्ग-चतुर्थ कर्मचारी था, उसे प्रदान किए गए अनुतोष को परिवर्तित किया जा सकता है, संभवतः बकाया वेतन में कमी करके।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा संदर्भित प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

9. कुछ तथ्य संक्षेप में निर्णय के पूर्व भाग में पहले ही उल्लेखित किए जा चुके हैं, अतः हम उन्हें पुनः वर्णित करना उपयुक्त नहीं समझते। अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि दिनांक 15.11.2008 को बैंक द्वारा उत्तरदाता को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ सूचना जारी की गई:

> *"(क) आप दिनांक 19.04.2008 तक 5 दिनों की अवकाश पर थे, किन्तु अन्वेषण की समाप्ति अर्थात् 28.04.2008 तक शाखा में उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में शाखा को कोई सूचना नहीं दी गई।*

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि आप अपने निवास स्थान पर तथा बैंक शाखा में भी ऋण दस्तावेजों का निष्पादन कर रहे थे।"

10. उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में, उत्तरदाता द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक द्वारा दिनांक 05.01.2010 को उत्तरदाता के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बैंक में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएँ थीं। वह ऋण स्वीकृति में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था। इसके प्रासंगिक कंडिकाएँ निम्नलिखित रूप में उद्धृत हैं:

"आरोप पत्र:

वर्ष 2007-2008 के दौरान, जब आप कृषि विकास शाखा, रामनगर में एक संदेशवाहक के रूप में कार्यरत थे, शाखा में निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित ग्राहकों को ऋण की स्वीकृति एवं वितरण में गंभीर अनियमितताएँ हुईं, जिनमें आपकी संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं।"

क्रमांक सं.	*नाम (श्री)*	*खाता सं.*	*ऋण राशि (रुपये)*
01	*फकरुद्दीन*	*30287568733*	*50,000.00*
02	*बाली यादव*	*30337461081*	*40,000.00*
03	*अरुण कुमार मणि मिश्रा*	*30310977071*	*50,000.00*
04	*चंदसी शाह*	*30358112002*	*40,000.00*
05	*घरभरन प्रसाद*	*30358122134*	*50,000.00*

06	कृष्ण प्रसाद राम	30358122098	50,000.00

आपके कर्तव्य में व्यतिक्रम तथा कृत्य एवं लोप के लिए, कारण बताओ सूचना इस उद्देश्य से जारी की जाती है कि सेवा नियमावली, अवार्ड स्टाफ तथा द्विपक्षीय समझौता दिनांक 10.04.2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, कंडिका (5), उप-कंडिका (जे एवं क) के अनुसार, जो घोर दुराचरण के अंतर्गत आता है, आपके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही क्यों न प्रारंभ की जाए:

(क) यह आरोप है कि आप शाखा में ऋण स्वीकृति एवं वितरण में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे। आप पर यह आरोप है कि आपने बैंक के ग्राहकों (खाता संख्या 30287568733, 30337461081, 30310977071, 30358112002, 30358122134, 30358122098) से इसके एवज में विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त किया।

(ख) यह आरोप है कि आप उपर्युक्त ग्राहकों (अर्थात् खाता संख्या 30287568733, 30337461081, 30310977071, 30358112002, 30358122134, 30358122098) से शाखा में तथा अपने निवास पर ऋण प्रस्ताव दस्तावेजीकरण हेतु लेते थे, जिसके पश्चात् ही स्वीकृति संभव होती थी।

(ग) आप दिनांक 20.04.2008 से 25.04.2008 तक, अनियमितताओं की जांच के दौरान, बिना अनुमति के शाखा से अनुपस्थित रहे, जिससे कि अन्वेषण प्रक्रिया से जानबूझकर बचा जा सके।"

10.1 अभिलेख से यह प्रकट होता है कि उत्तरदाता ने दिनांक 12.02.2010 के पत्र द्वारा उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, तथापि उसे असंतोषजनक पाते हुए अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति की गई।

11. अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान, उत्तरदाता ने आरोपों से इंकार किया तथा अपने प्रकरण का बचाव करने का प्रयास किया। उसने एक बचाव अधिवक्ता का चयन भी किया। अन्वेषण अधिकारी ने अनेक साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया। बैंक के ऋणग्राही अन्वेषण में विभागीय साक्षी के रूप में उपस्थित हुए।

11.1 अभियोजन साक्षी-1/फकरुद्दीन ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अपने ऋण की स्वीकृति हेतु, बिना समुचित दस्तावेजों के भी, उत्तरदाता को ₹ 5000/- देने के लिए विवश किया गया। अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-4 तथा अभियोजन साक्षी-5 के कथन भी इसी प्रकार के थे, जिन सभी ने अपने ऋण स्वीकृत कराने हेतु उत्तरदाता को हजारों रुपये देने की बात कही। अभियोजन साक्षी-6/दिलीप कुमार मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी ने केवल ऋण आवेदन भरने की सामान्य प्रक्रिया के संबंध में कथन दिया, न कि वर्तमान प्रकरण में क्या किया गया। उपर्युक्त अन्वेषण प्रक्रिया से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अन्वेषण के दौरान उत्तरदाता को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान किया गया।

11.2 अन्वेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रतिवेदन सहित कारण बताओ सूचना उत्तरदाता को भेजी गई, जिसे उसने विधिवत् प्राप्त किया। वह दिनांक 08.01.2011 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया:

"मैं निर्दोष हूँ। जानबूझकर अथवा अनजाने में जो भी त्रुटि मुझसे हुई हो, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे एक पुत्र दिव्यांग हैं तथा मेरी एक पुत्री विवाह योग्य आयु की है। मैंने सदैव बैंक की सेवा पूर्ण संतोष के साथ की है। मेरे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।"

11.3 उपर्युक्त कथन से यह तथ्य स्थापित होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता ने अपने कृत्य को स्वीकार किया। उसने दया की प्रार्थना की। चूँकि यह कपटपूर्ण कृत्य का प्रकरण था, अतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता पर 'सेवा से बर्खास्तगी' का दंडादेश आरोपित किया।

11.4 उत्तरदाता ने वैधानिक अपील दायर की। उसने वही बातें पुनः दोहराईं जो उसने अन्वेषण के दौरान कही थीं। तथापि, इसे घोर दुराचरण का प्रकरण मानते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए दंड को 'बर्खास्तगी' से घटाकर अधिवर्षिता लाभ सहित 'सेवा से निष्कासन' कर दिया। वस्तुतः, उत्तरदाता को उस पर आरोपित लघु दंड से संतुष्ट होना चाहिए था। तथापि, उसने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

12. एकल पीठ द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष कारण यह था कि उत्तरदाता एक चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी था। उसके पास ऋण स्वीकृत करने की कोई शक्ति नहीं थी। बैंक को अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि आदेश उत्तरदाता के विरुद्ध अनुमान एवं अनुमानों के आधार पर पारित किए गए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई विचार-प्रयोग नहीं किया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, बैंक द्वारा दायर अपील में, तथ्यों का सही संदर्भ नहीं लिया तथा आदेश की पुष्टि कर दी। आरोप पत्र का संदर्भ देने के स्थान पर, प्रारंभिक

कारण बताओ सूचना को आक्षेपित आदेश में उद्धृत किया गया। गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया तथा केवल वही प्रश्न विचारित किया गया जो अपीलकर्ता/ओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका की संधार्यता के संबंध में उठाया गया था।

13. अन्वेषण अथवा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप के संबंध में विधिक स्थिति सुव्यवस्थित है। इस न्यायालय ने **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रकरण (उपर्युक्त) में निम्नलिखित अवलोकन किया:

> *"**22.** <u>अनुशासनात्मक अन्वेषण से संबंधित विषयों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो विभागीय/अपील प्राधिकारियों द्वारा निर्वहन किए गए कार्यों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 अथवा अनुच्छेद 136 के अधीन संवैधानिक न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, विधि संबंधी त्रुटियों अथवा प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के संशोधन तक सीमित है, जो प्रत्यक्ष अन्याय अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की ओर ले जाती हैं,</u> और यह गुण-दोष के आधार पर प्रकरण के निर्णय के समान नहीं है, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसका इस न्यायालय द्वारा पूर्व में परीक्षण किया जा चुका है..."*
>
> *(बल प्रदान किया गया)*

13.1 इस प्रश्न पर विधि यह है कि यदि अन्वेषण अधिकारी के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को विस्तृत कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय के **बोलोराम बोरदोलोई** के प्रकरण (उपर्युक्त) का संदर्भ किया जा सकता है। उसका प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया जाता है: -

11... यह सुस्थापित विधि है कि <u>यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को स्वीकार करता है और आदेश पारित करता है, तो दंडादेश आरोपित करने वाले आदेश में विस्तृत कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होता है।</u> दंडादेश अन्वेषण प्रतिवेदन में अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर आरोपित किया जाता है, अतः अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त विस्तृत कारण दिए जाने की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि विभागीय अपील का विचार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10-12-2005 को आयोजित बैठक में किया गया था, अतः मंडल का निर्णय संदर्भ सं. एल.जी.बी./आई एंड वी/अपील/31/02/2005-06 के अंतर्गत दिनांक 21-12-2005 के आदेश द्वारा संप्रेषित किया गया। इस दृष्टि से, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन में कोई सार नहीं पाते कि आक्षेपित आदेश कारणों से रहित हैं।"

(बल प्रदान किया गया)

14. यह उत्तरदाता का प्रकरण नहीं है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। इसका अर्थ यह है कि अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने पाँच ऋणग्राहियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपने ऋण की स्वीकृति हेतु समन्वय करने के लिए, यद्यपि उनके दस्तावेज अपूर्ण थे, उत्तरदाता को धनराशि का भुगतान किया। अभियोजन साक्षी-6/दिलीप कुमार मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने कथन के अभिलेखन के समय कहा कि सभी खाते अनियमित थे।

14.1 एकल पीठ द्वारा व्यक्त यह मत कि अन्वेषण अधिकारी तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अनुमान एवं अनुमानों पर आधारित थे, विधि

की दृष्टि में संधार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो अभिलिखित निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं थी। ये संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित थे तथा संदेह से परे कठोर साक्ष्य की अपेक्षा आवश्यक नहीं थी।

14.2 एकल पीठ द्वारा प्रदत्त एक अन्य कारण यह था कि उत्तरदाता को बलि का बकरा बनाया गया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, जो भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि बैंक द्वारा लिया गया अभिमत यह है कि शाखा प्रबंधक तथा क्षेत्रीय अधिकारी, जिनके विरुद्ध उत्तरदाता के साथ आरोप लगाए गए थे, उन्हें सेवा से निष्कासन का दंडादेश दिया गया था। एकल पीठ द्वारा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि उत्तरदाता, एक वर्ग-चतुर्थ कर्मचारी होने के कारण, ऋण स्वीकृति एवं वितरण में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उत्तरदाता के विरुद्ध सिद्ध आरोप यह था कि वह ऋण स्वीकृत कराने में माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था। हम एकल पीठ के निष्कर्षों का संदर्भ कर रहे हैं क्योंकि खंड पीठ ने कोई विस्तृत कारण अभिलिखित नहीं किया।

14.3 इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य, जब दंडादेश आरोपित किए जाने से पूर्व कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में उत्तरदाता उपस्थित हुआ, इस दिशा में संकेत करता है कि उसने प्रत्यक्षतः अपना दोष स्वीकार किया तथा दया की प्रार्थना की। उसके द्वारा कहे गए शब्द कंडिका '11.2' में उद्धृत किए गए हैं। वास्तव में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दंड को 'बर्खास्तगी' से घटाकर अधिवर्षिता लाभ सहित 'सेवा से निष्कासन' कर, उदारता प्रदर्शित की गई थी।

15. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हमारे मत में उच्च न्यायालय की एकल पीठ तथा खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नहीं हैं। अतः उन्हें अपास्त किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार आदेशित किया जाता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2012 को पारित 'सेवा से निष्कासन' का दंडादेश, अधिवर्षिता लाभ सहित, पुनः स्थापित किया जाता है।

16. तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी बिना किसी व्यय आदेश के निस्तारित किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत।

निर्णय सार लेखन: अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।